

झारखण्ड सरकार
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या – 5/उ०फो०(विविध)-1/26 खा०आ०...2220 /राँची दिनांक 11/8/26

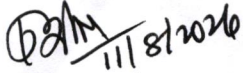
विभागीय अधिसूचना संख्या 5/उ०फो०(विविध)-1/26 खा०आ० पत्रांक 1604, दिनांक 19.06.2026 द्वारा निर्गत आदेश की कंडिका-2 में श्री बंशीधर तिवारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लोहरदगा को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चतरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

उक्त अधिसूचना के कंडिका-2 द्वारा श्री बंशीधर तिवारी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लोहरदगा को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चतरा के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चतरा के अध्यक्ष, के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार मो० नसीरुद्दीन, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलामू को दिया जाता है।

अधिसूचना संख्या 1604, दिनांक 19.06.2026 के बाकी सभी कंडिका यथावत् रहेंगे।

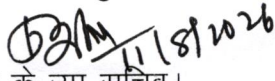
प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

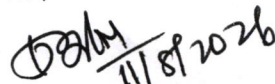

(सुशील कुमार),

सरकार के उप सचिव।

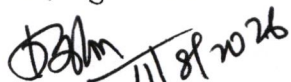
ज्ञापांक – 5/उ०फो०(विविध)-1/26 खा०आ० 2220 /राँची दिनांक 11/8/26
प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 5/उ०फो०(विविध)-1/26 खा०आ० 2220 /राँची दिनांक 11/8/26
प्रतिलिपि – अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड/ सभी अध्यक्ष, जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड/ निबंधक, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड/ सभी सचिव, जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 5/उ०फो०(विविध)-1/26 खा०आ० 2220 /राँची दिनांक 11/8/26
प्रतिलिपि – मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विभागीय सचिव कोषांग/ विभागीय कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।